केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/19 दिनांक: 16.01.2020

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00008
CICOM/R/2019/00892

**अपीलकर्ता : श्री राजकुमार सिंह चौहान एडवोकेट,
पुत्र - श्री देबीदीन सिंह चौहान,
752, सिविल लाइन्स, फतेहपुर ।**

निर्णय की तारीख: 16.01.2020

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.12.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	गैरदिनांकित
प्रथम अपील की डायरी सं.	21102/08.01.2020

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.11.2019 को एक आर.टी.आई. आवेदन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.12.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 18.12.2019 को प्राप्त हुआ । उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3, 4 एवं 5 केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित थे ।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्योरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बिंदुवार निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

3. जनसूचनाधिकार कानून जब से लागू हुआ जब से अब तक के बीच के वर्षों में कितनी-कितनी आर.टी.आई. आवेदन अलग - अलग वर्षों में केन्द्रीय सूचना आयोग को व कितनी-कितनी प्रथम अपीलें केन्द्रीय सूचना आयोग को की गई थी । जिसके सापेक्ष में केन्द्रीय सूचना आयोग के लोकसूचनाधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी जो-जो कार्यवाही की गई है उन-उन कार्यवाहियों से संबंधित पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायें ।
4. जनसूचनाधिकार कानून जब से लागू हुआ है तब से अब तक के बीच के वर्षों में कितनी-कितनी अलग अलग वर्षों में द्वितीय अपीलें प्रार्थी ने केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई थी । इसमें जो जो निर्णय हुए हैं उनके संबंधित सम्पूर्ण रिकार्डों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायें ।
5. जनसूचनाधिकार कानून जब से लागू हुआ है तब से अब तक के बीच के वर्षों में सबसे ज्यादा किन किन व्यक्तियों के द्वारा सूचनाएं मांगी गई हैं उन उन व्यक्तियों से संबंधित सम्पूर्ण रिकार्डों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायें ।

O/C

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना:-

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रदान की गई बिंदुवार सूचना निम्नानुसार है:-

3. *वांछित सूचना हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन करें । केन्द्रीय सूचना आयोग की सभी वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट के लिंक https://cic.gov.in/reports/37 पर उपलब्ध है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग में प्रति वर्ष हजारों की संख्या में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त*

RECEIVED
17 JAN 2020
D. No.......
Initials.......

P.T.O.

होते हैं, इसलिए सभी आवेदनों पर की गई कार्यवाही की प्रति उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

4. *प्रार्थी ने कितनी द्वितीय अपीलें भेजी हैं यह प्रार्थी को पता होना चाहिए, फिर भी उल्लेख किया जाता है कि आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों का विवरण आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के citizen service कॉलम में उपलब्ध है एवं आयोग के निर्णय भी आयोग की वेबसाईट में उपलब्ध हैं ।*
5. *किस व्यक्ति ने कितनी बार सूचनाएं मांगी है, इसका विवरण नहीं रखा जाता है ।*

प्रथम अपील का आधार:-

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि "गलत व भ्रामक व अपूर्ण व आधी अधूरी सूचना देते हुए प्रार्थी को यह अवगत कराया है कि सूचनाएं वेबसाईट में उपलब्ध हैं । यह आर.टी.आई. के प्रावधानों के विपरीत हैं" तथा अनुरोधह किया है कि "आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 3, 4 व 5 की प्रमाणित प्रतियॉ आर.टी.आई. के प्रावधानों के तहत उपलब्ध करावें" ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की टिप्पणी:-

4. प्रथम अपील का तर्कसंगत निपटान के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा से लिखित टिप्पणी मांगी गई, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा ने अपनी लिखित टिप्पणी में उल्लेख किया है कि:-

> "The above said RTI was transferred partly by Min of Information & Broadcasting for the points 3, 4, 5. The appellant has not sought any specific information, but asked in generic for the period since the RTI Act came into effect, which is already available in the CIC website (Public domain)".
>
> "Hence, the replies are given accordingly for points 3, 4. Regarding point 5, the information is not available in the desired form. Hence, accordingly intimated".

प्रथम अपील की सुनवाई:

5. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 7678807004 पर दिनांक 16.01.2020 को मामले की सुनवाई की गई ।

निष्कर्ष एवं निर्णय:

6. प्रथम अपील की सुनवाई एवं उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत ही हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

7. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

8. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

Singhal 16.01.2020

(योगेश कुमार सिंघल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।